# राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

क्रमांक :- स्था/राउन्या/2015/2563 दिनांक: 14.08.2015

## निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए सफाई कार्य हेतु अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। यह कार्य आंशिक रूप से मशीनों द्वारा व अंशत: मानव श्रम द्वारा किया जायेगा।

| कार्य का नाम | अनुमानित लागत | बयाना राशि |
|---|---|---|
| राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर (कुल क्षेत्रफल 12691 वर्ग मीटर) का सफाई कार्य | 8.00 लाख | 16,000/- (अनुमानित लागत का 2%) |

निविदा फॉर्म कार्यालय समय में विभागीय रोकड़िया से रूपये 400/- जमा करा कर दिनांक 18.08.2015 से दिनांक 02.09.2015 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाएं दिनांक 03.09.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा की जावेगी तथा प्राप्त निविदाएं उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदा-दाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने तथा निविदा प्राप्ति एवं खोली जाने की तिथि में कोई परिवर्तन का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा। निविदा की शर्तों एवं विवरणों का अवलोकन कार्यालय में कार्य समयावधि में किया जा सकता है।

**आज्ञा से,**

14/8/15

**रजिस्ट्रार (प्रशासन)**

## राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर ( कुल क्षेत्रफल 12691 वर्ग मीटर ) की सफाई हेतु निविदा प्रस्तुत करने की शर्तें

1. उच्च न्यायालय परिसर के बरामदों / गलियारों में उच्च न्यायालय समय प्रारम्भ होने के दो घण्टे पूर्व व न्यायालय समय समाप्त होने से दो घण्टे पूर्व दो बार पोंछा लगाना होगा व सफाई कार्य में उचित मात्रा में फिनाईल, साबुन के पानी का घोल आदि का उपयोग करना होगा।

2. उच्च न्यायालय भवन परिसर में स्थित सभी कमरों, शौचालयों, बरामदों, ड्योढी (पोर्च) व सम्पूर्ण परिसर की सफाई न्यायालय समय प्रारम्भ होने से एक घण्टे पूर्व तक नियमित रूप से करनी होगी व फिनाईल का पोंछा लगाना होगा।

3. उच्च न्यायालय भवन के मुख्य द्वार के सामने स्थित घास का मैदान एवं मंच की सफाई का कार्य प्रतिदिन करना होगा।

4. उच्च न्यायालय भवनों में स्थित समस्त शौचालयों की सफाई एवं धुलाई का कार्य प्रतिदिन दो बार करना होगा। शौचालयों की धुलाई साबुन के पानी व फिनाईल के उपयोग से करनी होगी। शौचालयों में फिनाईल की गोलियों का प्रयोग करना होगा। समय-समय पर एसिड से सफाई तथा सफाई का पाउडर जैसे विम, सर्फ आदि का प्रयोग भी करना होगा।

5. भवन की समस्त सीढ़ियों व रैलिंग्स की सफाई भी प्रतिदिन करनी होगी।

6. भवन की समस्त खिड़कियों के शीशे मय बेस व अन्य समस्त दरवाजों की सफाई प्रत्येक माह में दो बार करनी होगी। यह सफाई का कार्य कार्यालय समय में ही करना होगा।

7. उच्च न्यायालय में लगी हुई एल्युमिनियम की खिड़कियों व दरवाजों आदि की सफाई एक पखवाड़े में एक बार नियमित रूप से करनी होगी।

8. न्यायालय परिसर के बरामदों इत्यादि में स्थापित कांच की सफाई सप्ताह में एक बार आवश्यक उपकरणों से करनी होगी।

9. सम्पूर्ण भवन की छत की सफाई का कार्य भी माह में एक बार करना होगा।

10. सम्पूर्ण न्यायालय परिसर में स्थित थूकदान एवं पीकदान की सफाई एवं उसमें मिट्टी, राख को प्रतिदिन बदलना होगा।

11. भवन के शौचालयों पर रखी गई पानी की टंकियों की सफाई माह में एक बार अवश्य करनी होगी।

12.भवन के सम्पूर्ण परिसर में स्थापित बोर्ड एवं चार्टों की सफाई सप्ताह में एक बार अवश्य करनी होगी।

13.भवन के सम्पूर्ण परिसर की सफाई करने के पश्चात् कूड़ा-करकट एवं कचरे को उचित स्थान पर जलाकर उसे परिसर से बाहर उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।

14.परिसर में स्थित अवकाशागारों, चेम्बर्स एवं कमरों में लगे कारपेट की नियमित सफाई वेक्यूम क्लीनर से करनी होगी।

15.परिसर में खाली कच्ची भूमि पर लगने वाली जंगली घास को समय-समय पर हटाना होगा।

16.सफाईकर्मियों की वर्दी नीले रंग की होगी तथा वर्दी की व्यवस्था स्वयं एजेन्सी को करनी होगी। सफाई कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने की मनाही होगी।

17.ठेकेदार का एक प्रतिनिधि कार्यालय समय से एक घण्टा पूर्व से कार्यालय समय समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगा।

18.न्यायालय परिसर में प्रत्येक तल के लिए 4 (चार) सफाई कर्मी नीले रंग की वर्दी में कार्यालय समय तक उपलब्ध रहेंगे तथा समय-समय पर कमरों के सामने एवं थूकदानों में फेंके गए कचरे को हटाते रहेंगे।

19.श्रम नियमों के अनुसार किसी भी सफाई कर्मी से आठ घण्टे से अधिक कार्य नहीं लिया जायेगा। साथ ही श्रम विभाग के नियमानुसार सफाई कर्मी को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। श्रम नियमों के अन्तर्गत देय पी एफ/ ई एस आई का भुगतान संविदाकार (संवेदक) को ही करना होगा। श्रम विभाग के नियमानुसार संविदाकार (संवेदक) अपने रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें।

20.राजकीय अवकाश के दिनों में निविदादाता को पांच सफाई कर्मी उपलब्ध कराने होंगे तथा अवकाश के दिनों में भी भवन के गलियारों, बरामदों एवं बताये गये अन्य स्थान पर सफाई करनी होगी।

21.संविदाकार को सफाई व्यवस्था में कार्यरत सफाई कर्मियों का पुलिस सत्यापन अपने स्तर पर करवाना होगा व उनका परिचय पत्र भी बनवाना होगा।

22.सफाई व्यवस्था हेतु कम से कम 25 आदमी (सफाई कर्मी) प्रतिदिन लगाये जायेंगे। अतिश्रम/शोषण मुक्त कार्य की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

23.सफाई कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।

24.ठेके की दरें सामग्री सहित उल्लेखित करें।

25.सफाई सामग्री अच्छी किस्म की होगी एवं किसी प्रकार की मिलावट पायी गयी तो सामग्री को जब्त कर ठेके को रद्द कर जमानत राशि जब्त का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को होगा।

26.ठेकेदारों को जिनको पूर्व में राजकीय विभागों/कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालय भवन, बहुमंजिला 'ए' श्रेणी भवनों में सफाई कार्य का एक वर्ष का अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी तथा अनुभव का प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो, निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

27.उत्कृष्ट अनुभव के अभाव में टेण्डर स्वीकृत करने/नहीं करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को होगा।

28.ठेकेदार को उच्च न्यायालय भवन में पूर्ण रूप से स्वच्छता रखनी होगी।

29.ठेकेदार द्वारा मच्छरों एवं मौसमी कीटों, जानवरों के उन्मूलन हेतु समय-समय पर दवाइयां छिड़की जावेंगी।

30.कार्यालय की सफाई के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

31.ठेकेदार सफाई के कार्य का ठेका शुरू नहीं करने पर बयाना राशि, बीच में छोड़ने पर एवं किसी अन्य दुसरे व्यक्ति को सबलेट करने पर धरोहर राशि जब्त कर ठेके को निरस्त करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को होगा।

32.शौचालयों एवं स्नानगृहों का सामान सफाई करने से पहले सही रूप से संभलाया जावेगा। अन्यथा किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो उसकी दुरस्तगी एवं मरम्मत ठेकेदार द्वार अतिशीघ्र करवायी जावेगी। यदि किसी कारण से ठेकेदार असमर्थ रहता है तो टूट-फूट ठीक करवायी जाकर खर्चा ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।

33.सफाई की व्यवस्था के लिए रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गए आदेशों व संविदा की शर्तों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।

34.संविदा की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस विवाद पर रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।

35.सफाई कार्य की संविदा अवधि आदेश की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी ।

36.यदि ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से शर्तों के अनुसार सफाई नहीं की जाती है या स्वेच्छा से ठेकेदार काम नहीं करता है या ठेकेदार द्वारा किये गये सफाई कार्य के संतोषजनक न होने की दशा में उसके नाम की संविदा निरस्त की जाती है तो अन्य फर्म से नई संविदा की जाकर अन्तर राशि असफल ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

37.ठेकेदार की बयाना राशि रूपये 16,000/- @ 2% सफल निविदादाता को जमानत राशि संविदा की 5% राशि रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। बयाना राशि जमानत राशि में समायोजित की जावेगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

38.संविदा स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाता को 1000/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जो संविदा अवधि के लिए होगा।

39.बिना धरोहर राशि जमा कराये निविदा पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

40.निविदा स्वीकार करने/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में निहित रहेगा।

41.संविदा को रद्द करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में निहित रहेगा। न्यूनतम दरें स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।

42.ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में त्रुटि या अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर अथवा निंविदा की शर्तों की पालना नहीं करने पर 5% जमानत राशि दण्ड स्वरूप देय होगी।

43.निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदा दाता को निविदा की इस राशि का 5% जमानत राशि के रूप में आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह में जमा करानी होगी।

44.किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियां ठेकेदार या किसी भी पक्ष (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा संशय किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जोधपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ होगी अन्य स्थानों पर नहीं।

45.निविदाएं रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष सील बंद लिफाफे में दिनांक 03.09.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक ही पेश किये जा सकेंगे तथा निविदाएं उसी दिन सायं 04.00 बजे खोली जावेगी। उस समय समस्त निविदा दाताओं का उपस्थित रहना अपेक्षित है।

46.किसी भी दिन कार्य से अनुपस्थित रहने पर उस दिन अन्य एजेन्सी से सफाई का कार्य सम्पादित करवाया जावेगा व उसकी राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

47.उक्त सफाई कार्य को आंशिक रूप से मशीनों द्वारा व अंशत: मानव श्रम द्वारा करना होगा जिसमें निम्न मशीनों का उपयोग करना होगा:-

| | Approx. Qty. |
|---|---|
| 1. Single Disc Scrubbing Machine | 1 |
| 2. Vaccum Machine | 2 |
| 3. Manual Sweeper | 1 |
| 4. Jobby Dust Pan | 50 |
| 5. Glass Cleaning Equipments | 6 |
| 6. Bio Hygenic Cleaning Solutions | as per requirements |

48.न्यायालय में कार्यरत कोई भी अधिकारी द्वार सफाई कार्य में शिकायत दर्ज कराने पर, शिकायत सही पाई जाती है तो तुरंत सफाई कार्य करवाया जायेगा तथा निम्नानुसार पेनल्टी भी वसूली जायेगी:-

| | |
|---|---|
| 1. कक्ष में सफाई कार्य न होने पर | रूपये 50/- प्रति कक्ष प्रति दिन |
| 2. (i) चैम्बर में संलग्न शौचालय/पैशाबघर में सफाई न होने पर | रूपये 25/- प्रतिदिन प्रति शौचालय |
| (ii)सार्वजनिक उपयोग के शौचालय/ पैशाबघर में सफाई न होने पर | रूपये 100/- प्रतिदिन प्रति टॉयलेट |

| | |
|---|---|
| 3. किसी खिड़की/दरवाजे में सफाई न होने पर | रूपये 10/- प्रतिदिन प्रति खिड़की/दरवाजे |
| 4. किसी भी रेलिंग की सफाई कार्य न होने पर | रूपये 20/- प्रति फीट प्रति दिन प्रति रेलिंग |
| 5. बरामदा सफाई कार्य न होने पर | रूपये 100/- प्रति बरामदा प्रति दिन |
| 6. डस्टबिन (बडा) सफाई कार्य न होने पर | रूपये 50/- प्रति दिन |
| 7. अन्य सफाई कार्य न होने पर | रजिस्ट्रार (प्रशासन) के विवेकानुसार |
| 8. सम्पूर्ण परिसर में सफाई कार्य न होने पर | रूपये 1000/- प्रति दिन पेनल्टी एवं साथ ही उस दिन का कोई भुगतान देय नहीं होगा |

49. यदि शिकायत के बावजूद भी सफाई नहीं की जाती है तो पैनल्टी की दुगनी राशि अर्थात् रूपये 2000/- प्रति दिवस की वसूली की जावेगी। हर शिकायत का लेखा/जोखा न्यायालयाधिकारी रखेंगे तथा हर एक परिसर में शिकायत पुस्तिका का स्थान सुनिश्चित करेंगे।

50. किसी भी प्रकार की गणना के लिए महीने का मतलब 30 दिवस से है। इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर/ प्रति दिवस खर्च गणना के लिए आनुपातिक गणना उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी जोकि ठेकेदार को मान्य होगी।

51. किसी भी प्रकार के हादसे/लापरवाही आदि के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।